

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

कर्म को अपनाए शहर को स्वच्छता में नम्बर.1 बनाए

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा

रतलाम 9 अप्रैल । हर कार्य तभी सफल होता है जब इसकी शुरुवात पावन कर्म व मन के साथ की जाएगा। शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर.1 बनाने के लिए शुरू किए गए स्वच्छता के इस महाअभियान सभी की भागीदारी बराबरी की होगी तो स्वच्छता की दौड़ में नम्बर. 1 बनाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण .2022 के तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की गत दिवस आयोजित समीक्षा बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस समय नवरात्रि पर्व एवम पवित्र रमजान का माह चल रहा है। हमें रतलाम को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में ईश्वर जरूर सफलता प्रदान करेगा क्योंकि कर्म ही हमारा भगवान है और इसे पूजा समझकर हम सब लोगों को निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। फल स्वरूप रतलाम नगरनिगम को फाइव स्टार एवम एक हजार से अधिक अंक मिलने से कोई नई रोक सकता है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सफाई मित्र एवं दरोगा को अपने वार्ड स्तर से उठकर पूरे शहर को अपना मानना होगा। हमें अपनी पूरी ताकत सफाई में झोकना होगी। हमारी टीम में दरोगा सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वार्ड के लोग एवं दरोगा यदि ठान लेते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे और 5 स्टार रेटिंग भी मिलेगी। श्री झारिया ने कहा कि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्रेष्ठ कार्य करने वाले दरोगा को इनाम राशि से भी सम्मानित किया जाएगा। श्री झारिया ने कहा कि मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। सफाई को लेकर कोई भी यदि लापरवाही करेगा तो उसे कठोर सजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफाई क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि कचरे से खाद बनाकर उसका सदुपयोग करना है। श्री झारिया ने पूरे शहर की बात

करते हुए कहा की ओपन प्लॉट होए नाले हो या सार्वजनिक स्थल हो कही पर भी सॉलिड वेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। रोज सुबह खुले में शौच करने वालो पर कड़ी कारवाही होना चाहिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीए केए जायसवालए सहायक यंत्री सर्वश्री श्याम सोनीए सत्यप्रकाश आचार्यए एमएकेए जैनए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एपीए सिंहए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए सुहास पंडितए बीएलए चौधरीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए नीजि सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री जगदीश पांचालए स्वच्छता मिशन के प्रोजेक्टर इंचार्ज मोहित आदि मौजूद थे।

9 अप्रैल षनिवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 252 ट्रीप

101 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान

रतलाम 9 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 8 अप्रैल षुक्रवार को 101 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

9 अप्रैल षनिवार को डम्पर से 20725 किलोए टे<sup>०</sup> कटर से 11260 किलोए मैजिक सूखा कचरा 47415 किलोए मैजिक गीला कचरा 22450 किलोए सेनेटरी वेस्ट 4 किलो व हानिकारक कचरा 2<sup>०</sup>8 इस तरह कुल 101946<sup>०</sup>8 किलो कचरा जुलवानिया टे<sup>०</sup> चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना सूचना के अनुपस्थित 4 ड्रायवर व 5 हैल्पर का एक दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त किये जाने का दिया कारण बताओ सूचना.पत्र

रतलाम 9 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बिना सूचना के अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के चालक दिनेश परमारए सुन्दर परमारए बलराम छपरीए राकेश वर्माए हैल्पर हिम्मतए सुनीलए भवानी खरेए लखन चावरेए विक्की.दिनेश का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

निरंतर कार्य में लापरवाही बरतने पर पशु वाहन के 4 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त रतलाम 9 अप्रैल । नगर की सड़कोए चौराहों सहित अन्य स्थानों पर स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने हेतु गठित दल के कर्मचारियों द्वारा मवेशियों को नहीं पकड़ने व कार्य में निरंतर लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नियुक्त कर्मचारी चरणसिंह.भारतसिंहए मेहफुज.कालेखांए रामा व पूनमचन्द्र.रतन को सेवा से बर्खास्त किया गया।

उपयंत्री चौधरी व पंडित का माह अप्रैल का वेतन रोका

रतलाम 9 अप्रैल । विगत कई दिनों से शहर की पेयजल व्यवस्था गड़बड़ानेए गड़बड़ाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं लाने तथा पेयजल वितरण की जानकारी वायरलैस सेट पर लिये जाने पर कोई जवाब नहीं दिये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उपयंत्री श्री सुहास पंडित व श्री भैय्यालाल चौधरी का अप्रैल माह का 30 दिवस का वेतन रोका जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 15७83 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 9 अप्रैल । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 8 अप्रैल बुक्रवार को कुल राशि रूपये 15७83७677६ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 8 अप्रैल शुक्रवार को संपत्तिकर 200000ए जलकर कार्यालय से 739315ए वसूली दल 90930 कुल 830245 दुकान गुमटी किराया कार्यालय 47036ए वसूली दल 13783 कुल 60819ए स्पॉट फाईन 8550ए लायसेंस 1500ए लीजरेंट 482563 इस तरह कुल राशि रूपये 15ए83ए677६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

गंदगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 9 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैंए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 9 अप्रैल शनिवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अंकित राठौड़ पर 500ए राठौड़ रेस्टोरेंट व रवि राठौड़ पर 250.250ए किशोर कुमारए निर्मल गिरीए देवेन्द्र पोखरनाए जाट रेस्टोरेंटए सुनील पर 200.200ए अर्पित व सुरभी रेस्टोरेंट पर 100.100 व अम्बर पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

32 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 9 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में

प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 20 व दोपहर में 12 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

9 अप्रैल शनिवार को झोन क्रमांक 1 में शांतिबाई पति सुरेश अजय.विनोद ए बादल. दिलीप ए सचिन.रामसेवक ए विजय.फुलचन्द ए विककी.दिनेश ए झोन क्रमांक 2 में सोमदीप.सुदेश ए बबीताबाई पति कमल ए विमलाबाई पति नारायण ए श्यामाबाई पति कन्हैया ए सुगनाबाई पति शंकर ए बाबुलाल.कन्हैया ए राकेश.सोहन ए विरेन्द्र.शिवपाल ए कमल.सुरेश ए मनीश.दुलीचन्द ए राकेश.रामप्रसाद ए संजय.बच्चु ए कन्हैया.कमल ए दीपक. राजु ए दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में लताबाई पति संजय ए सुशीलाबाई पति गोवर्धन ए बिहारी.आनन्द ए रवि.सुरेश ए मनोज.भाईजीभाई ए सुलोचनाबाई पति बेजू ए शिवकन्या पति रमेश ए श्यामाबाई पति रामलाल ए झोन क्रमांक 3 में बीनाबाई पति कोमल ए धर्मेन्द्र.रामचन्द्र ए नरेन्द्र.कन्हैया व झोन क्रमांक 4 में जितेन्द्र.गोपाल इस तरह 32 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 9 अप्रैल । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहों सार्वजनिक स्थलों षासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमें सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंग

30 जून तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 9 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंग के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंग किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंग हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रथमन ,कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

100 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 9 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ,प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डे बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूशन नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ,पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 9 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री के नियमानुसार निशपादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2०0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिष्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 9 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक

निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे प्वान पालक जिन्होंने अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति प्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹. प्रति प्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रूपये जमा कराना होगा। प्वान पालकों को अधिकतम 2 प्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 9 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10₹000₹. तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20₹000₹. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 9 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 9 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविहेमन्त09042022नपाणिगमए रतलाम